



न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

पु. क्र.

123969 I-16

नाम सेवक श्री, कां. प्र.
98-11-16 को

प्रस्तुत
30-11-16
मार्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

[Handwritten signature]

मार्क ऑफ कोर्ट
2-2-99-99

602
28-11-16

1. श्रीमती गुडडी देवी पत्नी स्व. नारायण श्रीवास ,
2. अमित पुत्र स्व. नारायण श्रीवास
निवासीगण वाटर वर्क्स रोड माता मंदिर वाली गली के सामने वार्ड क्र. 3, भिण्ड म.प्र. — अविदेकगणना नाम



1. रामसनेही श्रीवास पुत्र रामचरण श्रीवास
2. श्रीमती साक्षी पत्नी रामसनेही श्रीवास
निवासीगण वाटर्स वर्क्स रोड माता मंदिर के सामने वाली गली वार्ड क्र. 3 भिण्ड म.प्र.
3. दीपू उर्फ कठकठक गुरशरणा श्रीवास पुत्र रामसनेही श्रीवास निवासी वाटर्स वर्क्स रोड माता मंदिर के सामने वाली गली वार्ड क्र. 3 भिण्ड म.प्र. — अविदेकगणना

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 के तयसे शाोधन अधि. 2011 म.प्र.रा. स. 1959 विरुद्ध अधि. दिनांक 10-11-16 द्वारा पारित सहस्रील्लार पर. व जिला भिण्ड पु. क्र. क्यू /राडर/2016 एवं 380/15-16 बी।21 अमित विरुद्ध रामसनेही के अधि. से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

अविदेकगणना का निवेदन निम्न प्रकार है :-

पुकरणा के संदिग्ध तथ्य




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3969-एक/16

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	